International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

जनजातियों की समस्याएं : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ मनोज कुमार तोमर
सह आचार्य–समाजशास्त्र विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर (राज.)

भारतीय धरा को परतंत्रता के दंश से मुक्त कराने में भारत माता की संतानों ने प्राणों की आहुती दी है। इनमें भारत के आदितम निवासियों ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक सभ्यता से दूर घने जंगलों मरूस्थलो दुर्गम पर्वतो में निवास करने वाले इन लोागो को आदिवासियों जनजातियों की संज्ञा दी गयी। आधुनिक भारत के संदर्भ में इन आदितम निवासियों को विद्वानों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है। जनजातियों को बेरियर एल्विन ने आदिमजाति ठक्कर बापा रिजले सेजविक मार्टिन जयपाल सिंह आदि ने आदिवासी एल.पी. विद्यार्थी ने गिरिजन तथा 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन ने अनुसूचित शब्द सुझाया। जी.एस.घूर्य ने पिछड़े हिन्दू तथा उन्होने इनके लिए अनुसूचित जनजातियां नाम प्रस्तावित किया जोकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में जनजातियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया के अनुसार जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का एक संकलन है जो समान बोली बोलते हों एक ही भूखण्ड पर अधिकार करने का दावा करत हो अथव दखल रखतें हैं तथा जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप में चाहें जैसे रहे हों।

जनजातियों की जनसंख्या प्रस्थितिः

भारत में अफ्रीका महाद्वीप के बाद विश्व के सर्वाधिक जनजातिय समुदाय बसते है। इनकी समस्याएं एवं विकास का विश्लेषण करने पूर्व उनकी जनसंख्या की परिस्थिति को जानना समीचीन होगा। भारत सरकार की जनगणनाओं से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या 1951 में 6.23 प्रतिशत में 1961 में 6.87 प्रतिशत, 1971 में 6.94 प्रतिशत, 1981 में 7.5 प्रतिशत, 1991 में 8.10 प्रतिशत एवं 2001 में 8.2 प्रतिशत है। भारत के संविधान के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 533 जनजातीय अनुसूचित समुदाय हैं। राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के अनके प्रयासों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आवास, संचार एवं यातायात की सुविधाओं से जनजातीय समुदायों का एक बड़ा भाग आज भी वंचित है। उत्खनन बड़े बांधों का निर्माण संचार विकास परियोजनाओं एवं यातायात में विस्तार आदि के कारण जनजातीय समुदायों का बड़ा भाग भूमि विस्थापन की समस्या से ग्रस्त रहा है।

शिक्षा / साक्षरताः

शिक्षा किसी भी समाज एवं समुदाय के विकास एवं सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम रहा है। स्वतंत्रता के बाद कमजोर वर्गो की शिक्षा एवं साक्षरता के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 में विशेष प्रावधान किया गया है किन्तु जनजातियों में साक्षरता की कमी की समस्या सदैव बनी रही है। भारत में सामान्य जनसंख्या की तुलना में जनजातियों में साक्षरता दर की स्थिति निम्नवत पाई गईः–

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तालिका 01

सामान्य एवं जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	कुल सामान्य साक्षरता	जनजातियों में साक्षरता दर	साक्षरता दर में अन्तर
1971	33.8	11.3	22.5
1981	41.3	16.35	24.95
1991	52.2	29.60	22.60
2002	65.38	47.1	18.28

तालिका से स्पष्ट है कि 1971 में सामान्य एवं जनजातियों की जनसंख्या में साक्षरता दर में 22.56 प्रतिशत का अन्तर था जो 2001 में घटकर 18.28 प्रतिशत पाया गया। इन तीन दशकों में यह अंतर मात्र 4.22 प्रतिशत ही कम हुआ जो उनमें व्याप्त शिक्षा एवं साक्षरता की समस्या को व्यक्त करता है।

विस्थापन की समस्या :

जनजातीय क्षेत्रों में उत्खनन औद्योगिक विकास और अन्य विकास परियोजनाओं एवं कार्यो का प्रभाव जनजातियों के विस्थापन की समस्या के रूप में परिलक्षित हुआ। इससे उनका न केवल आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान भी खत्म हो गई एवं वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गये। विश्व के अन्य देशों में देशज लोगों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है। भारत इसका अपवाद नहीं है। इस बात की पुष्टि देश में हुए विभिन्न अध्ययनों से हो चुकी है कि बड़े बाधों के निर्माण से जनजातियों की विस्थापन की समस्या खड़ी हो गयी है। मुखोपाध्य (2008) द्वारा अपने शोधपत्र में बड़े बांधो के निर्माण से उत्पन्न विस्थापन की समस्या का अध्ययन किया गया और पाया कि बड़े बांधों के निर्माण से लाखों व्यक्ति तथा परिवार विस्थापित हुए जिनमें से एक चौथाई जनसंख्या जनजातीय पाई गई। विस्थापन के कारण जिन समस्याओं को आदिवासी भोगते है उनमें प्राकृतिक संसाधनों से दूरी, सांस्कृतिक विखण्डन और महिलाओं के प्रति हिंसा और शोषण आदि मुख्य है।

प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास :

सदियों से जनजातीय समुदाय अपनी जीविकोपार्जन हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। पर्यावरण से जो सामग्री और सेवायें प्राप्त होती हैं वे सब प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतवासों के विनाश से वन्य जीवन विनाश के कगार पर है। वनों, जलाशयों एवं भुमि जैसे संसाधनों का दोहन अब केवल आदिवासियों की बपौती नहीं रही है। ये सभी संसाधन सरकारी नियंत्रण में होने से इनका उपयोग आदिम समुदायों तक ही सीमित नहीं रहा है। वन एवं वनोपज संग्रह आखेट झूम की खेती पशुपालन एवं आसपास के गावों में मेहनत मजदूरी से जनजातीय समुदाय अपना भरण–पोषण करता आया है वस्तुतः जल, जंगल, जमीन और जानवर आादि प्राकृतिक संसाधन है लेकिन वनों के कटने एवं उन पर सरकारी स्वामित्व होने से जनजातियों के अस्तित्व पर ह्रास का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सामाजिक एवं सांस्कृतिक :

जनजातीय समुदायों का दुर्गम स्थानों में लम्बे समय तक निवास होने के कारण राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग–थलग पड़ गये। लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद के दशकों में जो विकास कार्य सम्पन्न हुए उससे वे सभ्य लोगों के संसार के सम्पर्क में आये। फलतः जहां एक ओर वे अपनी जड़ों से उखड़े वही दूसरी ओर वृहद समाज की मूल व्यवस्था को भी पूरी तरह आत्मसात नहीं कर सके। इसके अलावा धर्मान्तरण एवं औद्योगीकरण के प्रभावों से भी अछूते नहीं रहे। फलतः उनके जीवन में मूल्य दुविधा की स्थिति खड़ी हो गयी।

जनजातीय महिलाओं की समस्याएं :

महिलाएं परिवार समाज एवं सुद्रढ़ राष्ट्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला मानव परिवार सभ्यता एवं संस्कृति का आधारस्तंभ है। महिलाओं की स्थिति से ही व्यक्तिगत परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। जनजातीय महिलाऐं खासकर आदिवासी एवं पहाड़ी प्रारम्भ से ही अनेक समस्याओं एवं रीति रीवाजों में अपने विकास को समेटे हुए परम्परागत उत्तराधिकारी नियम बहुविवाह, धार्मिक कर्मकाण्ड में लैंगिक भेदभाव, परिवार में दोयम दर्जा, अशिक्षा, गरीबी, पेयजल संकट, खराब स्वास्थ्य एवं शारीरिक शोषण जैसी समस्याओं के कारण अपने आप को ठगा से महसूस करती आई है एवं वर्तमान समय में इन समस्याओं के कारण ये महिलाएं अपने सर्वागीण विकास के लिए किसी चमत्कार की आस लगाए बैठी हैं।

जनजातीय विकासः

देश की स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं महिलाओं सहित समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। जनजातीय उपयोगिता के अन्तर्गत विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया गया लेकिन सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने में कई कारणों से जनजातीय लोग पीछे रहे। वस्तुतः वे विविध प्रकार की समस्याओं के शिकार हुये। भारत सरकार द्वारा जनजातीयों एवं अन्य परम्परागत वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 पारित कर 31 दिसम्बर 2007 से पूरे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के बारे में जनजातीय अधिकारी कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों के बीच लम्बा विवाद चला लेकिन अंततः राज्य सरकारों द्वारा इस संदर्भ में वन अधिकारी कमेटियों का गठन कर इसके क्रियान्वयन को दिशा दी। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम वन अधिकार अधिनियम को न केवल क्रियान्वित किया बल्कि इस संदर्भ में सर्वाधिक मामलों को निपटाया भी है।

महिला भागीदारी हेतू व्यवस्थाः

भारत में प्रदेशवार वन अधिकार 2006 के अंर्तगत दर्ज मामलों का निपटारा निम्नवत् पाया गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 6 Issue 6, June 2016,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तालिका 02

वन अधिकारों संबंधी मामलों का निपटारा

राज्य	दर्ज मामले	अंतिम निर्णय	प्रतिशत
मध्यप्रदेश	366874	263427	71.80
त्रिपुरा	162486	81144	50.03
आन्ध्रप्रदेश	329233	137613	41.79
छतीसगढ़	400000	109711	27.43
उड़ीसा	292821	36892	12.59
राजस्थान	53274	4913	9.28
गुजरात	168306	2575	1.52
महाराष्ट्र	245487	1384	0.56
प.बंगाल	138064	.....	.....
तमिलनाडू	7741	.....	.....
कर्नाटक	1412	.....	.....
झारखण्ड	4539	.....	.....
बिहार	495	.....	.....

उल्लेखनीय तथ्य है कि असम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में वन अधिकार कमेटी गठित है जबकि सिक्कम एवं अरूणाचल प्रदेश में इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई जहां जनजातीय आबादी कम नहीं है।

निष्कर्ष एवं सुझावः

जनजातीय समुदायों में व्यक्त समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास किये गये है वे पर्याप्त नहीं है जनजातीय विकास के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सघन प्रयास करने की आवश्यकता है।

जनजातीय समुदायों में सामान्य रूप से महिला साक्षरता की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

विकास की परियोजना के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास में व्याप्त कमियों, भ्रष्टाचार और शिथिलता को दूर किया जाये एवं प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाई जाये।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि को बढ़ावा जाना चाहिए जिससे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिले।

यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा वन अधिनियम 2006 पारित कर जनजातीय समुदायों को वन दोहन हेतु कुछ अधिकार दिये गये है लेकिन अधिकांश प्रदेशों में वन संपदा अधिकारों के हस्तान्तरण हेतु राज्यों द्वारा कमेटी ही गठित नहीं की गयी है।

जनजातीयों की श्रेणी में आरक्षित पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े है जिन्हे भरने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो ताकि इन वर्गों के लोगों को सेवा का लाभ मिल सके।

निष्कर्ष यह निकलता है कि जनजातीय समुदायों की सामाजिक ़ आर्थिक समस्या ़ को पर्याप्त गंभीरता और

तीव्रता से हल करने की आवश्यकता है।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन 75 वर्षो में हमने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है फिर भी यह क्यों नहीं संभव हो सकता

कि जनजातियों के लोग भी विकास के पथ पर अन्य लोगों के साथ चल सकें और हमारी उपलब्धियों में बराबर के हिस्सेदार बन सकें।

इस उद्देश्यक की प्राप्ति के लिए सभी की भावनाओं, सत्यनिष्ठा, पूर्ण संवैधानिक दायित्व तथा व्यक्तिगत रूचि की गहन भावना उत्पन्न करना परम आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि जनजीय विकास के कार्यक्रम में प्रशासन तंत्र भूमिका तटस्थ न रहे बल्कि क्षेत्र विशेष के सामाजिक आर्थिक आधार को समझते हुए परिवर्तन हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य करें।

सन्दर्भ

1. राम उमा 2009 : ट्राइबल आर्ट ऑफ लिविंग – सिंगिग और डांसिग एंड डान्सिंग, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू देल्ली अप्रेल 19, 2009
2. इण्डियन जनरल ऑफ एडल्ट एजुकेशन वाल्लूम 70 (3) पृ. 32
3. मुखोपाध्याय, सुनीता, डवलपमेंट, डिस्पेसमेंट, रिहैवलिटेशन एण्ड रिसैटलमेंटः लोकेटिंग ट्राइवल ह्मैन, इण्डियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजुकेशन वाल्लूम 3, 2008 पृ. 03–32
4. सेन, अमर्त्य, 1999 गरीबी और अकाल, राजपाल एंड सन्स दिल्ली 1999
5. जैन एच.सी.कृष्ण कुमार, 'अनुसूचित जनजातियों में वचना और विकास एक अध्ययन' प्रौंढ शिक्षा, भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ, नई दिल्ली, अंक 7 फरवरी 2010 पृ. 14–16
6. डॉ. मृदुला बैरवा,2019 : ट्राईबल डिस्पेशमेंट एंड रिहैबिलिटिएशन ऑफ मानसी वाकल डैम प्रोजेक्ट, हिमांशु पब्लिकेशन
7. डॉ. फ्रेड मोलिक 2018 : डवलपमेंट डिस्पेलशमेंट एंड ट्रॉइबल लाईफ (सम्पादित)